नम्बर
अहव
हुक्म
में

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– 57/2021 प्रा0पत्र

गणपत लाल, बाबुलाल पुत्र किशन लाल जाति महाजन उम्र बालिग नि0 बेमाली

प्रार्थी........

बनाम

खेमचन्द पुत्र रूपा जाति कुमावत उम्र बालिग नि0 गोपालपुरा (बेमाली) व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम बेमाली... पटवार हल्का बेमाली.... तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की आराजी नम्बर 3407 खाता संख्या 177 ...... कुल किता 1 रकबा......... .89........हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/02/2021. को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... बेमाली............. पटवार हल्का बेमाली.................. तहसील करेड़ा में स्थित आराजी 3407 खाता संख्या 177 ....कुल किता 1......... रकबा............ .89 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बेमाली.........को 1200..../– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथारिथति को कायम रखते हुए तत्कालीन बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा